

# कार्यालय जिला कलेक्टर झालावाड

क्रमांक CDEO/सामान्य/23/24/५१०

दिनांक 04/01/24

## आदेश

जिले में अत्यधिक शीत लहर की स्थिति को देखते हुए दिनांक 6 जनवरी 2024 से 8 जनवरी 2024 तक समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के बालकों का अवकाश घोषित किया जाता है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालयों में अन्य गतिविधि यथा प्रशिक्षण/ परीक्षा /शिक्षक उपस्थिति यथावत रहेगी।

  
जिला कलेक्टर

झालावाड

दिनांक 04/ 01/ 24

क्रमांक

प्रतिलिपि

- 1 श्रीमान निदेशक महो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक /प्रारंभिक झालावाड।
- 4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला झालावाड।
- 5 समस्त संस्था प्रधान राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च माध्यमिक /उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालय जिला झालावाड।

  
जिला कलेक्टर

झालावाड